

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अलय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

भागूएम वनाम जगदीश  
 कदमा... 2018

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>05<sup>07</sup>/<sub>18</sub> वकील वादीगण श्री राजेश चंवर ने हाजिर अकालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज एजिस्ट्रट किया जावे। उत्तिवादीगण की तलबी जीर्ण तम्मत के जकार पत्रबली दिनांक 03/08/18 को पेश हो।</p> <p>03<sup>08</sup>/<sub>18</sub> पत्रावली पेश हुई। अनुमान करिकेन एम/अनुमतिना पीठापीन अधिकारी के /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली उत्तिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21-08-18 को पेश हो।</p> <p>21<sup>08</sup>/<sub>18</sub> पत्रावली पेश हुई। अनुमान करिकेन एम/अनुमतिना पीठापीन अधिकारी के /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली उत्तिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10-09-18 को पेश हो।</p> <p>10<sup>09</sup>/<sub>18</sub> पत्रावली पेश हुई। अनुमान करिकेन एम/अनुमतिना पीठापीन अधिकारी के /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली उत्तिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-09-18 को पेश हो।</p> <p>27<sup>09</sup>/<sub>18</sub> पत्रावली पेश हुई। अनुमान करिकेन एम/अनुमतिना पीठापीन अधिकारी के /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली उत्तिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17-12-18 को पेश हो।</p>	<p>जगदीश                  प्रतिवादी न 231                  आस्टे प. 54                  2/10/18</p> <p>भाजु                  मजिस्ट्रेट                  जगदीश                  फुलपट्ट</p>

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहक हुकम में
17 <sup>12</sup> / <sub>18</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। कृपया परिकल्प          उप/अनुमति। पीयासीन शक्तिवादी से          इस कार्य में व्यक्त पत्रावली जमान          कार्यवाही हेतु दिनांक 25.02.19          को पेश है।</p>	
02 <sup>01</sup> / <sub>19</sub>	<p>वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना - पत्र          मिसल तलबी स्वीकार किया जाने पर पत्रावली          पूर्व नियत तानीज पैदा से तलब की जहर          आज पेश हुई। वकील वादी ने प्रार्थना - पत्र प्रस्तुत          कर निवेदन किया कि प्रकरण में विवादित          पक्षकारान के मध्य बाहमी राजीनामा हो चुका          है। वादीवला प्रकरण को और आगे नहीं          चलाना चाहते हैं। अतः पावा चिड़ा करने की          अनुमति प्रदान की।</p> <p>वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना          पत्र स्वीकार किया जाकर तदनुसार पावा चिड़ा          करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण          में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः          कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर स्थगित की जाती          है। पत्रावली केसव शुमार छोड़ नम्बर से इस          को तथा बाद तकनीक दाखिल फरार हो। निर्णय          खुले न्यायालय में हुआ गया।</p>	